

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का रिपुरी बनाम रामपाल S/O किसानपाल गाव

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट


सिरहेडा

प्रकरण संख्या :- 57118

निर्णय दिनांक :- 28/2/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सिरहेडा की आ.ख.न. 1429 कुल रकबा 0.20 किल्ल जमीन 0.01 में से 0.01 रकबा पर श्री रामपाल S/O किसानपाल ने अनाधिकृत रूप से अधिकरण कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का रिपुरी द्वारा दिनांक 14/2/18 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मध्य तहसील भू.अ.निरी. रिपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी रामपाल S/O किसानपाल निवासी सिरहेडा रिपुरी को नू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी

उपस्थित नव आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।
उक्त रकबा आ.ख.न. 1429 रकबा 0.20 में से 0.01 रकबा किस्म गोखुर मरखट है जो नियमानुसार खरीदा नहीं है लिहाजा तहसीलदार का अतिक्रमी रकबा से वेदखल किया जाने के आदेश दिने नव ने एवं नू.दण्ड स्वरुप नू.मान 0.27 Paisa 50 गुणा 1429 रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांगा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी रिपुरी भू.अ.निरी. रिपुरी को लिखा जाकर बाद तकमील कायिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


तहसीलदार
कठूमर अलवर (राज.)